न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल , जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 17/2019 पुराना, .../2023 दायर तारीख :– 29.03.2019

1. रामनारायण पुत्र हरदेव
2. भागीरथ पुत्र हरदेव
3. गोविन्दा पुत्र हरदेव
   समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम सुन्दरपुरा तह0 कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0

वादी गण/प्रार्थीगण

बनाम

1. दामोदर पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर निवासी सुन्दरपुरा तह0 किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री लक्ष्मण सिंह विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री जयंत चौधरी विद्ववान अधिवक्ता अप्रार्थी 1

निर्णय

निर्णय दिनांक 07.01.2026

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 55 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम सुन्दरपुरा तहसील कि0 रेनवाल में स्थित है। जिस पर वादीगण काबिज काश्त होकर उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादीगण ने अपनी उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 55 के चारो तरफ सीमेंट के पोल गाडकर तारबन्दी कर रखी ळै तथा उक्त आराजीयात को राजस्व नक्शे में तरमीम करते हुये 55/1, 55/2 के रूप में कायम किया हुआ है तथा वादीगण की उपरोक्त आराजीयात के तारंबन्दी व सीमा कायम करने के पश्चात पूर्वी दिशा में प्रतिवादी की आराजी खसरा नम्बर 56 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि वाके सुन्दरपुरा तह0 कि0 रेनवाल जिला जयपुर में स्थित है। जिस पर प्रतिवादी काबिज है वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात को प्रार्थना पत्र के सलंग्न नक्शें में दर्शित किया गया है। जो वादीगण की कब्जे काश्त की आराजीयात को सलंग्न नक्शें में बंरग लाल से दर्शित किया गया है। प्रतिवादी की नियत में फितूर उत्पन्न हो रखा है प्रतिवादी नाजायज तरीके से वादीगण की आराजी सलंग्न नक्शें में दर्शित पर कब्जा करना चाहता है और वादीगण की मौजूदा सींव मेड तारबन्दी को मोडकर वादीगण की भूमि पर नाजायज कब्जा करने पर उतारू है और वादीगण को उनकी कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करना चाहता हैं इसी आशय से प्रतिवादी ने दिनांक 26.03.2019 को वादीगण की सलंग्न नक्शें में मार्क बंरग लाल से दर्शित भूमि की तारबन्दी व पोल को तोडकर कब्जा करने की चेष्टा की जब वादीगण ने उसके मना किया तो वादीगण से लडाई झगडा करने पर आमदा हो गया तब बडी मुश्किल से लोगों के समझाने पर माना। लेकिन प्रतिवादी ने वादीगण को ऐलानिया धमकी दी कि वह वादीगण की सलंग्न नक्शें में मार्क बंरग लाल से दर्शित भूमि की पूर्वी दिशा की समा कायम की हुई भूमि की तारबन्दी पोलो को तोडकर वादीगण की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करेगा इसलिए वादीगण को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए वादीगण को उक्त वादी व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण 1 की ओर से वकील जंयत चौधरी ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण का आराजी खसरा नम्बर 55/1, 55/2 की पूर्वी सींव पर कोई तारबन्दी नहीं है। खसरा नंबर 55/1, 55/2 की पूर्वी सींव के लगवा प्रतिवादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

आराजी खसरा नम्बर 56 स्थित है। वादीगण जबरन प्रतिवादी की कब्जे, काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 56 की भूमि में बढते हुये कब्जा करन चाहता है। जिस पर प्रतिवादी ने तहसीलदारजी तह0 कि0 रेनवाल के आदेश दिनांक 27.02.2019 की पालना में दिनांक 24.03.2019 को सीमाज्ञा करा लिया जिस पर वादीगण द्वारा संतुष्ट न होने पर चारो तरफ की सीमा वाले काश्तकारों को पक्षकार कायम करते हुए पत्थर गढी का आवेदन किया है जो विचाराधीन है। प्रतिवादी ने दिनांक 26.03.2019 को वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 55/1, 55/2 में पोल तोडने का आरोप गलत लगाया है। खसरा नम्बर 55/1, 55/2 के पूर्वी सीमा के गलते प्रतिवादी की कब्जे, काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 56, 59 है जिस पर वादीगण खसरा नम्बर 55/1, 55/2 की आड में पूर्वी ओर प्रतिवादी की आराजी खसरा नम्बर 56 की सीमा में बढते हुए कब्जो कराना चाहते है। इसी गरज से गलत अंकित करते हुये वादी ने गलत तथ्यों पर वाद पेश किया है व अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि प्रतिवादी का आराजी खसरा नम्बर 56 वाके ग्राम सुन्दरपुरा में स्थित है। जिसके पश्चिम दिशा में वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 55/1, 55/2 है जो वादीगण ने करीब 30-35 साल पूर्व खरीद की थी, वादीगण अपनी कब्जे, काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 56 में बढते हुए जबरन कब्जा करना चाहता है। जिस प्रतिवादी ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 27.02.2019 की पालना में दिनांक 24.03.2019 को सीमा ज्ञान करवाया जाकर चिन्ह बताते गये किन्दु वादी गण द्वारा न मानने पर प्रतिवादी ने अपनी आराजी खसरा नम्ब्र 56,59 की पत्थरगढी हेतु श्रीमान के यहा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए आवेदन पेश कर रखा है। जो विचाराधीन है। वादीगण ने आराजी खसरा नम्बर 55/1, 55/2 का नक्शा वाद के साथ मोके की स्थित के व राजस्व नरक्शे की स्थिहाति के विपरीत पेश किया है दोने में भिन्नता है। वादी उक्त वाद की आड में आराजी खसरा नम्बर 56 की आरे बढते हुये जबरन कब्जा करना चाहते है। खसरा नमबर 55/1, 55/2 पर की पूर्वी सीमा पर कोई पेाल नहीं है। वादी ने मिन प्रतिवादी को हेरान व परेशान करने की गरज से गलत आधारो पर वाद व दर0 पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है।

3. प्रकरण में उभय पक्षकारान के अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की प्रार्थी द्वारा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा वाद न्यायालय में पेश किया गया है। वादीगण की आराजीयात खसरा नमबर 55 को राजस्व नक्शे में तरमीम करते हुए 55/1, 55/2 के रूप में कायम किया हुआ है। प्रार्थी की आराजी को पूर्वी दिशा में आराजी खसरा नम्बर 56 स्थित है। जिसके प्रार्थी रिकोर्डेड खातेदार है। अगर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की आराजीयात में दखलअंदाजी कीगई तो प्रार्थीगण को अपूरणीया क्षति होगी। अतः दौराने वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पांबद किया जए। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया की प्रार्थीगण द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में अप्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा कर रखा है। प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में आराजी खसरा नम्बर 55 दर्ज है। लेकिन राजस्व नक्शे में उक्त आराजी खसरा नम्बर 55/1, 55/2 दर्शायी है। अगर प्रार्थी को अपनी आराजी 55/1, 55/2 की सीमा के संबंध में कोई संदेह है तो नियमानुसार सीमाज्ञान/ पत्थरगढी करवाने चाहिए। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के विरूद्ध कोई अस्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है।

4. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 व सी0पी0सी0 1908 के आदेश 39 नियम 1 व नियम 2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रथम दृष्टया मामला , सुविधा का सतुंलन प्रार्थी के पक्ष में होना तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना आवश्यक है। उक्त सदंर्भ में प्रकरण विश्लेषणानुसार अपेक्षित है।

1. <u>प्रथम दृष्टया मामलाः-</u> वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के रिकोर्डेड खातेदार होने के आधार पर प्रतिवादीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद करने का निवेदन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जे-काश्त व

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा नहीं करे तथा वादीगण की उक्त आराजीयात पर लगी पूर्वी दिशा की तरफ की तारबन्दी व पोलो से छेडछाड़ नहीं करे। प्रतिवादी द्वारा इसका खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि वादीगण प्रतिवादीगण की आराजीयात पर कब्जा करना चाहते है। वर्तमान में प्रतिवादी द्वारा पत्थरगढी का प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को अस्थाई निषेधाज्ञा पांबद नहीं किया जा सकता है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी वादग्रस्त आराजी का रिकोर्डेड खातेदार है जिसे अपनी आराजीयात के कब्जे –काश्त व उपयोग–उपभोग का पूर्ण अधिकार है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में मामला प्रतीत होता है। ।

2. अपूरणीय क्षति :– वादी वादग्रसत आराजी का रिकोर्डेड खातेदार है। तथा वादग्रस्त आराजी की मौका स्थिति में छेडछाड होने पर वादीगण को अपूरणीय क्षति होना सम्भावित है। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। जिससे वादीगण का प्रतिवादी की आराजीयात पर कब्जा करना प्रमाणित होता है। वादग्रस्त आराजी की मौका स्थिति में बदलाव होने पर वादीगण को होने वाला अपूरणीय क्षति प्रतिवादीगण को होने वाली अपूरणीय क्षति से अधिक प्रतीत होती है।
3. सुविधा का सतुलंनः– प्रथम दृष्टया मामला व अपूरणीय क्षति वादीगण के पक्ष में साबित होने पर सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में ही होगा।
4. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द होने से रोका जाना, प्रकरण में आगे वाद बहुल्यता उत्पन्न होने और अन्य विधिक जटिलताए रोकना पूर्णतया अपेक्षित व न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु उभयपक्षरान को पांबद किया किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 साबित होने पर वादग्रस्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु उभयपक्षरान को पांबद किया जाता है। दिनांक 29.03.2019 को जारी अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय दिनांक 07.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सर्वेश शर्मा आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल